

बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना

—: कार्यालय आदेश :—

का०आ०संख्या :- 5/आर०एल०-40-309/2012 श्र०सं०-

पटना, दिनांक-

विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक-02.06.2026 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा के आलोक में बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त "रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना-2025" के तहत श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन ग्रामीण श्रमिक कल्याण केन्द्र में कार्यरत/सेवानिवृत्त/मृत अनुसेवक-सह-चौकीदार/प्रशिक्षित दाई को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से एम.ए.सी.पी. की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं :-

क्र.	कर्म का नाम	जन्म-तिथि/ सेवानिवृत्ति की तिथि	योगदान/ सम्पुष्टि की तिथि	द्वितीय/तृतीय एम.ए.सी.पी. की तिथि एवं वेतनमान
1	2	3	4	5
1	स्व. सुधीर सिंह	01.05.1969 (मृत्यु दिनांक-14.02.2020)	05.12.1988 05.12.1990	तृतीय एम.ए.सी.पी. 05.12.2018 बैंड वेतन-5200-20200 ग्रेड पे० 2400/-, लेवल-04
2	स्व. मो. अलीम	14.11.1960 (मृत्यु दिनांक-21.11.2015)	18.06.1986 18.06.1988	द्वितीय एम.ए.सी.पी. 01.01.2009 बैंड वेतन-5200-20200 ग्रेड पे० 2000/-
3	श्री विद्याभूषण सिंह	31.08.1964 31.08.2024	02.11.1991 02.11.1993	तृतीय एम.ए.सी.पी. 02.11.2021 बैंड वेतन-5200-20200 ग्रेड पे० 2400/-, लेवल-04
4	श्रीमती अंजना कुमारी	02.03.1967 31.03.2027	05.12.1988 05.12.1990	तृतीय एम.ए.सी.पी. 05.12.2018 बैंड वेतन-5200-20200 ग्रेड पे० 2400/-, लेवल-04
5	श्री अमरनाथ प्रसाद गुप्ता	11.01.1962 31.01.2022	30.09.1988 21.02.1991	तृतीय एम.ए.सी.पी. 30.09.2018 बैंड वेतन-5200-20200 ग्रेड पे० 2400/-, लेवल-04
6	श्रीमती राधा देवी (प्रशिक्षित दाई)	10.01.1965 31.01.2025	19.08.1991 19.08.1993	तृतीय एम.ए.सी.पी. 19.08.2021 बैंड वेतन-5200-20200 ग्रेड पे० 2400/-, लेवल-04

2. वित्तीय उन्नयन के आदेश में भविष्य में त्रुटि पाये जाने पर संशोधन का अधिकार श्रमायुक्त, बिहार में सन्निहित होगा। इस आधार पर कम या अधिक राशि के भुगतान की स्थिति में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विधिसम्मत समायोजन कर लिया जायेगा।

3. इस आदेश के आलोक में सभी संबंधित कर्मियों के पूर्व में निर्धारित वेतन को एक माह के अन्दर संशोधित करते हुए नए सिरे से संशोधित वेतन निर्धारण किया जाएगा तथा संशोधित वेतन निर्धारण के उपरान्त सभी संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा नियमानुसार उन्हें बकाया वेतन के अन्तर राशि का भुगतान किया जाएगा। साथ ही, सभी संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा इसके आलोक में अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित किया जायेगा।

ह०/-
(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार

ई-मेल/
स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक-5/आर०एल०-40-309/2012 श्र०सं०-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

श्रमायुक्त, बिहार

ई-मेल/
स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक-5/आर०एल०-40-309/2012 श्र०सं०-

पटना, दिनांक-

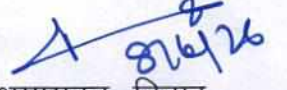
प्रतिलिपि - सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक एवं सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक-5/आर०एल०-40-309/2012 श्र०सं०- **3289** पटना, दिनांक- **09.06.26**

प्रतिलिपि - आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।


श्रमायुक्त, बिहार